

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 401

जयपुर, दिनांक: 10/11/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियाँ तैयार करने के संबंध में।
संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 7656 दिनांक 7.11.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों हेतु निर्वाचक नामावलियों की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की वार्डवार 12 कार्यकारी कापियाँ (working copies) तैयार करने तथा उसमें से 7 प्रतियाँ मतदान दल को दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

चूंकि मतदान दल द्वारा पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान एक दिन तथा पंच एवं सरपंच के चुनाव एक अन्य दिन मतदान करवाया जाना है। अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि, मतदान दलों को मतदाता सूचियों की 7 के स्थान 9 कार्यकारी प्रतियाँ उपलब्ध करवाई जावेगी। इनमें से चार प्रतियाँ जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु तथा 5 प्रतियाँ जिनमें से 1 प्रति रिटर्निंग अधिकारी व शेष 4 प्रतियाँ सरपंच व वार्ड पंच के चुनाव हेतु उपयोग में ली जावेगी।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 10/11/15

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/ 402-04
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर